राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./2017-18/सान्याअवि/6860 दिनांक : 30-1-2018

संशोधित आदेश

विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 73950 दिनांक 03.11.2017 एवं 86007 दिनांक 14.12.2017 को जारी आदेश में संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट **www.sje.rajasthan.gov.in** के **Home Page पर New Scholarship Portal** पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	**15 फरवरी 2018**
2	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (विभागीय जिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/ संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी) को फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	**28 फरवरी 2018**
3	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त समस्त छात्रवृति आवेदन पत्रों की ऑन लाईन स्वीकृति जारी करना, आक्षेप करना एवं आक्षेपित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	**15 मार्च, 2018**
4	स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन बिल बनाकर, बजट मद अंकित करवाकर आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर ट्रेजरी में भिजवाकर राशि हस्तान्तरण करने की अंतिम तिथि	**31 मार्च , 2018**

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी **www.sje.rajasthan.gov.in** के **Home Page पर New Scholarship Portal** पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)3.मै.छा./2017-18/सान्याअवि/6861-7000 दिनांक : 30-1-2018

प्रतिलिपि :– **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन/ (माध्यमिक/प्राथमिक) शिक्षा विभाग जयपुर।
6. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
7. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
9. निदेशक विशेष योग्यजन/संस्कृत शिक्षा शिक्षा संकुल जयपुर।
10. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
12. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
13. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
14. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/(अ.जा./जन.जा. कल्याण), मुख्यावास
15. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
16. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
18. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा/जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/ मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृहतरी मतस्य विश्वविद्यालय अलवर/बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर/श्री कर्ण नरेन्द्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर/कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर/राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर/विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर/आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/राजस्थान पुलिस विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, जोधपुर/जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाडा..................
19. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).........
20. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान...............................
21. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त....................
22. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त....................
23. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक् महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त...............
24. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............
25. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाऐं................
26. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
27. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
28. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
29. *उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र को आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।*
30. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव